District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).	opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	Direct recruitment **Note :** Vacancy caused by the incumbents being away on deputation or long illness or Study leave or under circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government or State Government or Union territories:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis or (ii) with three years regular service in the posts in of level 1 in the Pay Matrix; and (b) possessing qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)
Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee consisting of: - 1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman 2. Deputy Director in charge of Medical Education Section in Directorate General of Health Services -Member 3. Deputy Director Admnistration, Lady Hardinge Medical College -Member	Not applicable.

[F. No. A-11018/35/2016-MH-II]

G. A. RAGHUVANSHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 3.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1973 जहां तक लेखाकार (कनिष्ठ) उच्च श्रेणी लिपिक व भंडारी,स्वागतकर्ता और सफदरजंग अस्पताल (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1977 जहां तक अभिरक्षक और अभिरक्षक और भंडारी सह अवर श्रेणी लिपिक/अवर श्रेणी लिपिक

सह भंडारी के पद से संबंधित है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अवर श्रेणी लिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

2. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली, अवर श्रेणी लिपिक और अपर श्रेणी लिपिक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
1. अवर श्रेणी लिपिक	141 * (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) में स्तर –2	अचयन	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों के मामले मे चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के मामले में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

		टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) कंप्यूटर पर कौशल परीक्षण सन्नियम :- (क) अंग्रेजी में प्रतिमिनट 30 शब्दों की टंकण गति, समय अनुज्ञात - दस मिनट **टिप्पण 1 :** (प्रत्येक शब्द के लिए औसत पांच कुंजी दवाब पर प्रति घंटा/9000 कुंजी दवाब को 35 शब्द प्रतिमिनट और 30 शब्द प्रतिमिनट तत्स्थानी) **टिप्पण 2 :** अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	हां, स्तंभ (10) में उपदर्शित सीमा तक	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
(i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा पचासी प्रतिशत (ii) वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) के स्तर 1 में समूह	स्तंभ (10) में जैसा कथित किया गया है ।

'ग' कर्मचारिवृंद में से 10 प्रतिशत की रिक्तियां भरी जाएंगी और 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों तथा विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर स्तर में तीन वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों । परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में 50 वर्ष है) **टिप्पण :** खंड (ii) के अधीन यदि रिक्तियों की संख्या की अपेक्षा और ऐसे कर्मचारी पर उपलब्ध हैं, ऐसे अधिक कर्मचारियों की संख्या उत्तरवर्ती वर्षों में उद्भूत रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्वतर परीक्षा पर अर्हित करने वाले कर्मचारियों के पूर्व विचार किया जाता है जिनको उन्होंने बाद में परीक्षा पर अर्हित होते हैं । (iii) समूह 'ग' के कर्मचारियों से ज्येष्ठता के आधार पर 5 प्रतिशत की रिक्तियां भरी जाएंगी जिन्होने वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) के स्तर 1में तीन वर्ष नियमित सेवा कर ली हो ।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
(i) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली -अध्यक्ष 2. प्रभारी उप निदेशक, चिकित्सा अस्पताल अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य 3. उप निदेशक, सफदरजंग अस्पताल सदस्य **(ii) समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :-** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष 2. प्रभारी उप निदेशक, चिकित्सा अस्पताल अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य 3. उप निदेशक, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)
2. उच्च श्रेणी लिपिक	68* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स (25500–81100 रु.) में स्तर 4	अचयन	लागू नही होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नही होता

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	वेतन मैट्रिक्स (19900 – 63200 रु.) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 में अवर श्रेणी लिपिक के पद से प्रोन्नति जिसने आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, - अध्यक्ष 2. चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के भार साधक, उप निदेशक - सदस्य 3. उप निदेशक, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य	लागू नही होता ।

[फा. सं. ए-11018/05/2016 – एम.एच-II]

ग. अ. रघुवंशी, अवर सचिव

New Delhi, the 19th December, 2017

G.S.R. 3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of The Safdarjang Hospital (Class III posts) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the posts of Accountants (Jr.) UDC Storekeepers Receptionist and The Safdarganj Hospital (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1977, in so far as they relate to the post of Caretaker and LDCs Storekeepers-cum-LDC/LDC-cum-Storekeepers, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Lower Division Clerk and Upper Division Clerk in the Safdarjung Hospital of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Lower Division Clerk and Upper Division Clerk, (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, level in the pay matrix.—**The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.—**No person ,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving .—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Lower Division Clerk	141* (2017) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'C' Non Gazetted, Ministerial	Level 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200)	Non-selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees
(6)	(7)	(8)
Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,	**Essential :** (1) 12th class pass from a recognised Board. (2) Skill test norms on computer: (a) A typing speed of 35 words per minute in English; or (b) A typing speed of 30 words per minute in Hindi. Time allowed: Ten Minutes. **Note1:** (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 key depressions per hour/9000 key depressions	Yes, to the extent indicated in column (10)

Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from employment exchange shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.	per hour on an average of five key depressions for each word) **Note 2:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruitment	(i) 85 per cent. by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 10 per cent. of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' staff in Level 1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) and who possess 12th Class pass and have rendered three years regular service in the Level, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years in case of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) **Note :** If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the exam, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later exam; (iii) 5 per cent. of the vacancies shall be filled on seniority basis from Group 'C' employees who have rendered three years regular service in Level 1 of the pay matrix (Rs. 18000-56900).	As stated in Column (10).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
(i) Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, -Chairman 2. Deputy Director in-charge of Medical Hospital Section, Directorate General of Health Service. -Member 3. Deputy Director, Safdarjung Hospital - Member	Not applicable.

(ii) Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, -Chairman 2. Deputy Director in-charge of Medical Hospital Section, Directorate General of Health Service. -Member 3. Deputy Director, Safdarjung Hospital - Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Upper Division Clerk	68* (2017) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'C' Non Gazetted, Ministerial	Level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100)	Non- selection

(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion	Promotion from the post of Lower Division Clerk with eight years of regular service in Level 2 in pay matrix (Rs. 19900-63200) **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher Level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital -Chairman 2. Deputy Director in-charge of Medical Hospital Section, Directorate General of Health Service -Member 3. Deputy Director, Safdarjung Hospital -Member	Not applicable.

[F. No. A-11018/05/2016-MH-II]

G. A. RAGHUVANSHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 4.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1973 को जहाँ तक उनका संबंध ऑपरेशन थियेटर सहायक, ऑपरेशन थियेटर टैक्नीशियन और वरीष्ठ ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में ऑपरेशन थियेटर सहायक, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन और वरिष्ठ ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-